



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 31 मार्च, 2020

चैत्र 11, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 412/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(100)-2020

लखनऊ, 31 मार्च, 2020

अधिसूचना

प०आ०-103

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1) धारा 15 की उपधारा (5) तथा धारा 148 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस बात का समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-842/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(9)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 25 के समक्ष,

(i) स्तम्भ (3), (4) तथा (5) में, मद (i) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(i) वायुयान, वायुयान के इंजन और वायुयान के अन्य घटक और कल-पुर्जों की देखभाल, मरम्मत या ओवरहोलिंग की सेवाएँ	2.5	-”

(ii) मद (ii) में, स्तम्भ (3) में, शब्द कोष्ठक और अंक “(i)” के पश्चात् शब्द, कोष्ठक और अंक “और (i)क)” बढ़ा दिया जायेगा।

2-यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपुर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 412/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(100)-2020, dated March 31, 2020 :

No. 412/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(100)-2020

Dated Lucknow, March 31, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3) and sub-sections (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-842/XI-9(47)-17- U.P. Act-1-2017-Order- (9) -2017 dated June 30, 2017, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, in the Table, against serial number 25,

- (a) after item (i) and entries relating thereto in columns (3), (4) and (5), the following items and entries shall be *inserted*, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Maintenance, repair or overhaul services in respect of aircrafts, aircraft engines and other aircraft components or parts.	2.5	-"

- (b) in item (ii), in column (3), after the brackets and figures "(i)", the word, brackets and figures "and (ia)" shall be *inserted*.

2. This notification shall be come into force with effect from the 1st day of April, 2020.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.